राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार घोषित कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पुख्ता निर्माण व रास्ते को ध्यान में रखते हुये विभाजन किया जाना आवश्यक है तथा जब तक विभाजन नहीं हो जाता अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर तादौराने वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वे भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1637 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1649 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1650 क्षैत्रफल 1.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2056 क्षेत्रफल 0.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2057 क्षेत्रफल 0.2 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2058 क्षेत्रफल 4.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2058/2497 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, गै. मु. बोरिंग कुल किता खसरे 7 कुल क्षेत्रफल 6.8700 हैक्टेयर ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करे तथा भूमि की किस्म परिवर्तित नही करे, निर्माण नही करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे व हिस्से में व काश्त कार्य में दखल अन्दाजी नही करे, उक्त कार्य अप्रार्थीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट आदि से करवावें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाबी तथ्यों में अंकन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सरासर गलत एवं मिथ्या पर आधारित हैं । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरणः</u>– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी भूमि खसरा नम्बर 1637 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1649 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1650 क्षैत्रफल 1.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2056 क्षेत्रफल 0.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2057 क्षेत्रफल 0.2 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2058 क्षेत्रफल 4.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2058/2497 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, गै. मु. बोरिंग कुल किता खसरे 7 कुल क्षेत्रफल 6.8700 हैक्टेयर ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः वादग्रस्त आराजी के मौके पर उभयपक्ष मनबंट करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के हक में सिद्ध होता है।
2. <u>सुविधा का संतुलनः</u>– आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन दोनों ही पक्षों के हक में प्रमाणित है।
3. <u>अपूर्णनीय क्षतिः</u>– चूंकि विवादित आराजी का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। मूल दावा जो घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं विभाजन का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द–बुर्द किया जाता है, तों दोनों ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

## <u>अतः आदेश है किः–</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम बस्सी स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1637 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1649 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1650 क्षैत्रफल 1.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2056 क्षेत्रफल 0.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2057 क्षेत्रफल 0.2 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2058

उपखण्ड अधिकारी
जिला–जयपुर

क्षेत्रफल 4.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2058/2497 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, गै. मु. बोरिंग कुल किता खसरे 7 कुल क्षेत्रफल 6.8700 हैक्टेयर का बेचान नहीं करें, ना कोई निर्माण करें एवं दखलंदाजी नहीं करे ना ही दीगर से करावें एवं मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

*निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।*

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बस्सी, जयपुर ग्रामीण (राज०)